संख्या : /XVIII-B-1/2025-04(56)/2024

प्रेषक,

विनोद कुमार सुमन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग,
यमुना कालोनी, देहरादून।

आपदा प्रबन्धन अनुभाग–1 देहरादून, दिनांक : सितम्बर, 2025

विषय : जनपद रूद्रप्रयाग विकाखण्ड ऊखीमठ में सटल पार्किंग क्षेत्र **Accrow Bridge** के डाऊन स्ट्रीम में सोन नदी के दायें तट पर बाढ सुरक्षा योजना (रीच 0.00 से 30.00) हेतु वित्तीय वर्ष 2025–26 में योजना हेतु अन्तिम किस्त की वित्तीय स्वीकृति विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–603/प्र0अ0/सिं0वि0/बजट/बी–1/(SDMF)/कैम्प, दिनांक 14.08.2025 के क्रम में जनपद रूद्रप्रयाग विकाखण्ड ऊखीमठ में सटल पार्किंग क्षेत्र Accrow Bridge के डाऊन स्ट्रीम में सोन नदी के दायें तट पर बाढ़ सुरक्षा योजना (रीच 0.00 से 30.00) हेतु अवमुक्त प्रथम किस्त के सापेक्ष उपलब्ध कराये गये उपयोगिता प्रमाण पत्र व जिलाधिकारी, रुद्रप्रयाग द्वारा कार्यो की संतोषजनक कार्यपूर्ति एवं द्वितीय किस्त हेतु संस्तुति के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नतालिका के स्तम्भ–1 में वर्णित कार्ययोजना हेतु गठित अनुबन्धानुसार स्तम्भ–4 में अंकित वास्तविक कुल लागत रू0 52.86 लाख के सापेक्ष अवमुक्त प्रथम किस्त रू0 31.90 लाख को समायोजित करते हुए योजना हेतु अवशेष/अन्तिम किस्त **रू0 20.96 लाख (रू0 बीस लाख छियानब्बे हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(रू0 लाख में)

क्र.	कार्य का नाम	विभागीय टी.ए.सी. द्वारा योजना हेतु संस्तुत लागत	संस्तुत लागत के सापेक्ष योजन– हेतु आतिथि तक अवमुक्त धनराशि कुल योग (60%)	कार्ययोजना हेतु निविदा आमंत्रण के उपरान्त कार्ययोजना की वास्तविक कुल लागत (18%GST+ आकस्किमता /4%सहित)	वित्त विभाग के निर्देशों के क्रम में धनराशि अवमुक्त हेतु निर्धारित प्रतिशत के आधार एवं स्तम्भ–4 के आलोक में किस्तवार फांट विवरण		द्वितीय किस्त हेतु कार्य की वास्तविक लागत (4–5)
					वास्तविक प्रथम किस्त (60%)	द्वितीय किस्त (40%) (4–5)	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	जनपद रूद्रप्रयाग के विकासखण्ड ऊखीमठ में सीतापुर सटल पार्किंग क्षेत्र में Acrow Bridge के डाउन स्ट्रीम में सोननदी के दांये तअ पर बाढ़ सुरक्षा योजना (रीच 0.00 से 30.00)	**53.18**	**31.90**	**52.86**	**31.90**	**20.96**	**20.96**
						योग	**20.96**

(रू0 बीस लाख छियानब्बे हजार मात्र)

2– **प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष**, सिंचाई विभाग, यमुना कालोनी, देहरादून द्वारा स्तम्भ–7 में अवमुक्त की गयी धनराशि को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

i). शेष शर्तें पूर्व निर्गत संख्या–999/XVIII-B-1/2024-04(55)/2024 दिनांक 07.10.2024 के अन्तर्गत यथावत् रहेगी।

ii). प्रश्नगत कार्य हेतु टी0ए0सी0 द्वारा संस्तुत रू0 53.18 लाख के सापेक्ष निविदा आमंत्रणोपरान्त गठित अनुबन्ध लागत रू0 52.86 लाख को योजना हेतु वास्तविक लागत मानते हुए द्वितीय/अन्तिम किस्त के रूप में रू0 20.96 लाख की धनराशि नियमानुसार अवमुक्त की जा रही है।

iii). उक्त अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष किसी भी प्रकार की देयता लम्बित होती है,तो उस दशा में समस्त उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/सम्बन्धित सक्षम प्राधिकारी का होगा।

3– उक्त वित्तीय स्वीकृति **रू0 20.96 लाख (रू0 बीस लाख छियानब्बे हजार मात्र)** को प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग के निर्वतन पर आपदा प्रबन्धन विभाग के अधीन संचालित राज्य आपदा न्यूनीकरण निधि के बैंक खाते से पृथक से उपलब्ध करायी जायेगी।

4– उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2025–26 के अनुदान संख्या–06 के अन्तर्गत लेखाषीर्शक–2245–प्राकृतिक आपदाओं के कारण राहत कार्य–08–एस0डी0 एम0एफ0–797–रिजर्व फंड को हस्तांतरण–03–एस0डी0एम0एफ0 से व्यय–42–अन्य विभागीय व्यय मद के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–I/281566/ 9(150) 2019/XXVII(1)/2025, (E-79713) दिनांक 31 मार्च, 2025 में दिये गये निर्देशों के क्रम में अक्षरशः अनुपालन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे है।

Digitally signed by
Vinod Kumar Suman
Date: 25-09-2025
17:55:46

भवदीय,

(विनोद कुमार सुमन)
सचिव।

संख्या (1)/XVIII-B-1/2025-04(56)/2024, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड (लेखा एवं हकदारी) कौलागढ़ रोड, देहरादून।
2. सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव–वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, सिचांई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. जिलाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
8. निदेशक, कोषागार, 23, लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून।
9. मुख्य/वरिष्ठ, कोषाधिकारी, रूद्रप्रयाग।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Jyotirmay Tripathi
Date: 30-09-2025
12:59:32

(ज्योतिर्मय त्रिपाठी)
अनु सचिव।